डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5^{th} Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001
Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068 Web:
www.dfccil.gov.in

No. 2019/HQ/Admin/RTI-281 New Delhi: 15.04.2019

Sh. Latoori Singh
UP

Subject: Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI Act.2005.

Reference: Your RTI Application dated 01.04.19 received through DOPT.

Information i. r. o. your above RTI application as received is attached.

Hope the above information is complete and satisfactory. If not, then you can appeal within 30 days of receipt of the letter to the 1st Appellate Authority whose name and address is as under;

Shri Satish Kothari, GGM/Administration DFCCIL,
5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building, New Delhi-110001.

(S.K.PANDA)
Dy. G.M/Admn.(PIO)
***E*-mail: skpanda@dfcc.co.in**
9717636811

DA: 04 sheets.

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

पत्रांक सं0– CNB/EN/RTI/16(A)/Y-19/M-4(3) Date-10-04-2019

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक ,
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
टुण्डला (आगरा)

विषय :– सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत, श्री लटूरी सिंह पुत्र अनोखेलाल, ग्राम सराय इलाही पो0 कुनैठा तह0–भरथना, जिला–इटावा उ0प्र0, के द्वारा, मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :–1. डिप्टी जी0एम0 / एम्मीन / पी0आई0ओ0 का पत्रांक सं0 2019 / HQ/ADMIN/RTI-281 Dated 02.04.19
2. डिप्टी जी0एम0 / एम्मीन / पी0आई0ओ0 का पत्रांक सं0 2019 / HQ/ADMIN/RTI-367 Dated 31.08.18
3. इस कार्यालय का पत्र सं0 CNB/EN/RTI/16(A) Dated 26.09.18

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें।

श्री लटूरी सिंह पुत्र अनोखेलाल, ग्राम सराय इलाही पो0 कुनैठा तह0–भरथना, जिला–इटावा उ0प्र0 ने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत पत्र दिनांक 05.08.2018 के द्वारा सूचना मांगी हैं , जो जनसूचना अधिकारी को सम्बोधित हैं, इस कार्यालय में डी0जी0एम0 / एडमीन (पी0आई0ओ0) का पत्र सं0 2019/ HQ/ADMIN/RTI-281 दिनांक 02.04.19 के संलग्नक के रूप में आपके कार्यालय से, इस कार्यालय में, ई–मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ हैं।

प्रार्थी के पत्र दिनांक 05.08.2018 के सम्बन्ध में पूर्व मे (सन्दर्भित पत्र 2) डिप्टी जी0एम0 / एम्मीन / पी0आई0ओ0 के पत्र सं0 2019 / HQ/ADMIN/RTI-367 Dated 31.08.18 के द्वारा सूचना मांगी गई थी, जिसका उत्तर इस कार्यालय के (सन्दर्भित पत्र 3) पत्र सं0 CNB/EN/RTI/16(A) Dated 26.09.18 के द्वारा दिया जा चुका है (छायाप्रति संलग्न)।

प्रार्थी के पत्र दिनांक 05.08.2018 के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति निम्नलिखित हैं:–

क्रम सं0	प्रार्थी द्वारा की गई मांग	उत्तर
1.	उक्त जमीन का अधिग्रहण कब किया गया।	इस कार्यालय के पत्र दिनांक 26.09.2018 द्वारा स्थिति से अवगत कराया जा चुका हैं।
2.	अधिग्रहीत जमीन का प्रतिकर श्री लटूरी सिंह व जयदेव सिंह पुत्र श्री अनोखे लाल को कितने रुपये का भुगतान किया गया।	श्री लटूरी सिंह पुत्र अनोखे लाल को प्रतिकर का भुगतान रू0 1,14,400/– डी0डी0 सं0 38719496 दिनांक 25.09.2018 एवं श्री जयदेव सिंह पुत्र अनोखे लाल को 1,15,985/– डी0डी0 सं0 38719531 दिनांक 10.10.2018 के माध्यम से किया जा चुका है।
3.	अधिग्रहीत जमीन की स्थनीय बाजार मूल्य क्या हैं एवं सरकारी मूल्य क्या हैं।	इस कार्यालय के पत्र दिनांक 26.09.2018 द्वारा स्थिति से अवगत कराया जा चुका हैं।

Office Of Dy.Chief Project Manager:-117/H2/180 Block, Pandu Nagar, Kanpur – 208025
Telefax: 0512-,2225124 Mobile 7060803012 E mail – bsjaryal@dfcc.co.in, Website www.dfccil.gov.in

4.	अधिग्रहीत जमीन के मूल्य का 2008 से 2018 के बीज का ब्याज कितना होता हैं	इस कार्यालय के पत्र दिनांक 26.09.2018 द्वारा स्थिति से अवगत कराया जा चुका हैं।
5.	अधिग्रहीत जमीन का भुगतान भूमि अधिग्रहण विधेयक 2013 के अधीन हैं या नही यदि नही तो किस विधेयक के अधीन हैं।	इस कार्यालय के पत्र दिनांक 26.09.2018 द्वारा स्थिति से अवगत कराया जा चुका हैं।
6.	अधिग्रहीत जमीन के प्रतिकर का भुगतान नहीं किया गया हैं तो कब तक किया जा सकेगा।	प्रस्तर--2 में स्थिति स्पष्ट हैं।
7.	अधिग्रहीत जमीन के प्रतिकर का भुगतान ब्याज सहित, विधेयक 2013 के अधीन कितने धनराशि का होगा।	इस कार्यालय के पत्र दिनांक 26.09.2018 द्वारा स्थिति से अवगत कराया जा चुका हैं।

कृपया वस्तुस्थिति से अवगत होते हुए प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में अग्रेतर/आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

10/4/2019

उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक
डी.एफ.सी.सी.आई.एल/कानपुर।

Office Of Dy.Chief Project Manager:-117/H2/180 Block, Pandu Nagar, Kanpur – 208025
Telefax: 0512-,2225124 Mobile 7060803012 E mail — bsjaryal@dfcc.co.in, *Website* www.dfccil.gov.in

Date- 26-09-18

पत्रांक: CNB/EN/RTI/16(A)

सेवा में,
मुख्य परियोजना प्रबन्धक,
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
टुण्डला (आगरा)

विषय:– सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत श्री लटूरी सिंह, पुत्र श्री अनोखेलाल निवासी ग्राम सराय इलाही पो0 कुनैठा तह0–भरथना, जिला–इटावा उ0प्र0, द्वारा मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:– डिप्टी जी0एम0 / एण्मीन / पी0आई0ओ0 का पंत्राक सं0 2018 / HQ/ADMIN/RTI-367 दिनांक 31.08.18

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। श्री लटूरी सिंह, पुत्र अनोखेलाल निवासी ग्राम सराय इलाही पो0 कुनैठा तह0–भरथना, जिला–इटावा द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत मांगी गई सूचना विषयक पत्र दिनांक 05.08.2018 इस कार्यालय में ईमेल के माध्यम से डिप्टी जी0एम0 / एण्मीन / पी0आई0ओ0 का पत्र सं0 2018 / HQ/ADMIN/RTI-367 दिनांक 31.08.18 के संलग्नक के रूप में प्राप्त हुई हैं।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि0 (रेल मंत्रालय) भारत सरकार की पूर्वी मालभाड़ा परियोजना हेतु ग्राम– मोढ़ी, तहसील–भरथना, जिला–इटावा की एलाइमेन्ट में आने वाली भूमि का अर्जन डी0एफ0सी0सी0 द्वारा रेलवे संशोधित अधिनियम 2008 के अर्न्तगत नियमानुसार करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रथम चरण में अर्जित भूमि का अभिनिर्णय दिनांक 15.06.2010 को व द्वितीय चरण में अर्जित भूमि का अभिनिर्णय दिनांक 26.08.2011 व तृतीय चरण में अर्जित भूमि का अभिनिर्णय दिनांक 24.03.2014 को सक्षम अधिकारी द्वारा घोषित किया गया हैं। जिसमें उक्त ग्राम के अर्जित गाटा सं0 2,3,4,5,6,7,8,10 व 621 भी प्रभावित हुआ हैं। उपरोक्त गाटों में मूल भूस्वामी ने छोटे–2 आवासीय प्लाटिंग करके विभिन्न व्यक्तियों को वर्ष 1980 के दशक में प्लाटों का विक्रय करके रजिस्ट्री (बैनामा) कर दिया था, किन्तु विक्रीत भूमि का नामांकन राजस्व अभिलेखों न होने तथा मानचित्र में रजिस्ट्री अनुसार सीमाकंन न होने के कारण यह सुनिश्चित करना संभव नही हो रहा था कि किस व्यक्ति की भूमि / प्लाट परियोजना के एलाइमेन्ट में प्रभावित हो रहा हैं। डी0एफ0सी0सी0 तथा जिला प्रशासन / राजस्व विभाग इटावा के द्वारा भूमि के स्वामित्व का सत्यापन करने के उपरान्त प्रतिकर के भुगतान करने की कार्यवाही की जा रही है।

Office Of Dy.Chief Project Manager:-117/H2/180 Block, Pandu Nagar, Kanpur – 208025
Telefax: 0512-,2225124 Mobile 7060803012 E mail -- bsjaryal@dfcc.co.in, *Website* www.dfccil.gov.in

श्री लटूरी सिंह पुत्र अनोखे लाल के द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत सात प्रस्तरों पर मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में प्रस्तवार आख्या निम्नलिखित हैः–

1. ग्राम– मोढ़ी, तहसील–भरथना, जिला–इटावा की परियोजना प्रभावित भूमि का अर्जन तीन चरणों में रेलवे (संशोधित) अधिनियम 2008 के अर्न्तगत किया गया हैं। प्रथम चरण में अर्जित भूमि का अभिनिर्णय दिनांक 15.06.2010 को व द्वितीय चरण में अर्जित भूमि का अभिनिर्णय दिनांक 26.08.2011 व तृतीय चरण में अर्जित भूमि का अभिनिर्णय दिनांक 24.03.2014 को सक्षम अधिकारी द्वारा घोषित किया गया हैं।

2. श्री लटूरी सिंह व जयदेव सिंह पुत्र अनोखे लाल को उनके आवासीय प्लाट के सापेक्ष नियमानुसार देय मुआवजे की धनराशि के भुगतान की कार्यवाही प्रचलित हैं।

3. अधिग्रहीत भूमि की स्थानीय बाजार का मूल्य व सरकारी मूल्य किस वर्ष का अपेक्षित हैं, प्रार्थना पत्र में उल्लेखित नहीं हैं। वर्षवार अर्जित भूमि का बाजारू मूल्य व सरकारी मूल्य, निबन्धक कार्यालय इटावा व जिला मूल्यांकन सूची इटावा से ही प्राप्त हो सकती हैं।

4. ग्राम– मोढ़ी, तहसील–भरथना, जिला–इटावा की प्रभावित भूमि का अर्जन तीन चरणों में रेलवे (संशोधित) अधिनियम 2008 के अर्न्तगत किया गया हैं। इस अधिनियम में ब्याज दिये का कोई प्रविधान नहीं हैं।

5. ग्राम–मोढ़ी तह0–भरथना, जिला–इटावा की भूमि के अर्जन हेतु वर्ष 2008 में प्रकाशित अधिसूचना की भूमि के अर्जन पर नवीन अधिनियम (*भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, सुधार तथा पुनर्वास अधिनियम 2013*) प्रभावी नही हैं।

6. अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर के भुगतान की कार्यवाही प्रचलित हैं, यथाशीघ्र प्रतिकर का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

7. *भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, सुधार तथा पुनर्वास अधिनियम 2013* के अर्न्तगत अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर, पर ब्याज का भुगतान किये जाने का कोई विधिक आधार नहीं हैं।

कृपया वस्तुस्थिति से अवगत होने का कष्ट करें।

26/11/2018

उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक
डी.एफ.सी.सी.आई.एल / कानपुर।

Office Of Dy.Chief Project Manager:-117/H2/180 Block, Pandu Nagar, Kanpur – 208025
Telefax: 0512-,2225124 Mobile 7060803012 E mail -- bsjaryal@dfcc.co.in, Website www.dfccil.gov.in